

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 29, मंगलवार, श॥के 1948- मई 19, 2026 Vaisakha 29, Tuesday, Saka 1948- May 19, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 1985

सं. एफ3(5)(1) पर्या./74 :-वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम् 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम् संख्या 53) की उपधारा (1) धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार वन्य जीवों के महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अभयारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में गजनेर अभयारण्य के नाम से जाना जावेगा, अर्थात्

अनुसूची

उत्तरी सीमा : गजनेर कोलायत राष्ट्रीय मार्ग/15 सड़क, खारी, मोटावता, गंगापुरा, मोडिया मानसर एवं कोडमदेसर ग्राम की सीमा।

पश्चिमी सीमा : गोलरी, इन्दोंका वाला, किशन सिंह ढाणी एवं चाणी गांव की सीमा।

दक्षिणी सीमा : गजनेर कोलायत रेल्वे लाईन, चाण्डासर गांव की सीमा।

पूर्वी सीमा : गजनेर गांव, महल और बाग, गजनेर कोडमदेसर पक्की सड़क।

राज्यपाल की आज्ञा से,

एस.के.वर्मा,

उप शासन सचिव।

1841

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

29-3

29

राजस्थान सरकार
पर्यावरण विभाग

सं 355/पर्या/74

अतिरिक्त

जयपुर, दिनांक :- 25.9.85.

4489

18/10/85

बन्दा सीमा, राजस्थान 1972 [1972 का केन्द्रीय
अधिकतम सीमा 53] की उपधारा 11 धारा 10 के उपबन्धों के
अन्तर्गत राजस्थान सरकार बन्दा सीमाओं के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए
एक द्वारा, निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली
भूमि को अध्याप्य घोषित करता है, जिसे भाष्य में गजनेर अध्याप्य
के भाग से जाना जायेगा, अर्थात्

अनुसूची

- उत्तरी सीमा:- गजनेर कोलायत राष्ट्रीय मार्ग 15 जंझ, जाली,
मोटापला मीनापुरा, मोडिया मानसर एवं
कोडमदेनर ग्राम की सीमा ।
- पश्चिमी सीमा:- गोलरी, इन्दौरा वाला, फिशन सिंह टाणी एवं
चाणी गाँव की सीमा ।
- दक्षिणी सीमा:- गजनेर कोलायत रेलवे लाईन, चाण्डासर गाँव
की सीमा ।
- पूर्वी सीमा:- गजनेर गाँव, महेत और बाग, गजनेर कोडमदेनर
पक्की जंझ ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(Signature)

एस 0 के 0 को

उप शासन अधिकारी ।

प्रतिलिपि उपन्यास एवं बाध्यकारी कार्यवाही हेतु गिम्ताफिल को:-

- 1- अधिकारी, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर ।
- 2- अधिकारी, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
- 3- अमल निजी अधिकारी, मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान जयपुर ।
- 4- निजी अधिकारी, मुख्य अधिकारी, राजस्थान, जयपुर ।